शेख नागूर

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी

उच्च न्यायालय आंध्रप्रदेश हैदराबाद

(आपराधिक अपील संख्या 346/2008)

20 फरवरी 2008

(डा. अरिजीत पसायत व पी.सदाशिवम, जे.जे.)

दंड संहिता, 1860 - धारा 354 और 448 - दोषसिद्धी अंतर्गत - विचारण न्यायालय द्वारा - मृत्युकालीन कथनों के आधार पर - अपील में, निर्धारित: दोषसिद्धि न्यायोचित - मृत्युकालीन कथनों की सत्यता संदिग्ध नहीं - मृत्युकालीन उद्घोषणा.

अपीलार्थी - अभियुक्त अंतर्गत धारा 354, 448 और 306 भा.दं.सं. में आरोपित था। मृतक द्वारा दो मृत्युकालीन कथन एक न्यायिक अधिकारी (पी.डब्लयू-7) के समक्ष तथा अन्य हैड कॉस्टेबल (पी.डब्लयू-10) के समक्ष किये गये थे । विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को आरोपित सभी अपराधों में दोषसिद्ध किया। उच्च न्यायालय द्वारा उसे अंतर्गत धारा 306 भा.दं.सं. में दोषमुक्त किया जबकि अंतर्गत धारा 354 और 448 में की गई दोषसिद्धी को पुष्ट किया। अंतर्गत धारा 354 भा.दं.सं. की सजा को तीन साल से दो साल में लघुकरण किया। इस कारण अपील प्रस्तुत की गई।

अपील को निरस्त करते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया-

यहां मृत्युकालीन कथनों की सत्यता पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है विशेषतया वहां जहां दोनों के मध्य एकरूपता है। जहां तक मृतक

द्वारा दिये गये मृत्युकालीन कथनों की व्यवहारिकता का संबंध है यह पर्याप्त है कि अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (पी.डब्लयू-7) तथा कांस्टेबल (पी.डब्लयू-10) द्वारा विस्तृत वर्णन किया है जैसा मृतक ने उनमें से प्रत्येक को कथन किया था। गवाहों में से किसी को भी यह भी सुझाव नहीं दिया गया कि मृतक दावे के अनुसार कोई भी बयान देने के लिये उपयुक्त स्थिति में नहीं था। इस स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतक बयान देने की शारीरिक स्थिति में नहीं था। विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिये इन गवाहों के साक्ष्य तथा उल्लेखित मृत्युकालीन कथन का विश्लेषण किया है। (पैरा सं. 7, 12 व 13) (78-बी; 81-एफ, जी; 82-ए)

नारायण सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2004 (2) एससीआर, 115, बाबूलाल बनाम मध्यप्रदेश राज्य 2003 (12) एससीसी 490, रवि बनाम टी.एन. राज्य 2004 (10) एससीसी 776, मुथु कुट्टी बनाम राज्य 2005 (9) एससीसी 113- विश्वास किया ।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:आपराधिक अपील संख्या 346/2008

(आपराधिक अपील संख्या 472/2004 में उच्च न्यायालय आंध्रप्रदेश, हैदराबाद द्वारा पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 07-03-2007 से)

अनंगा भटटाचार्य, डी. जूलियस रियामी व श्रीधर पोटाराजू अपीलार्थी की ओर से.

डी. भारती रेडडी प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय द्वारा

डाॅ. अरिजीत पसायत, जे.

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इस अपील में आंध्र प्रदेश उच्च न्याालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को आक्षेपित किया गया है। आक्षेपित निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भा.दं.सं.') की धारा 354 और 448 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया, लेकिन भा.दं.सं. की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि को अपास्त किया गया; हांलाकि भा.दं.सं. की धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दी गई तीन साल के कारावास की सजा को घटाकर दो साल कर दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा भा.दं.सं. की धारा 448 के अपराध के लिए छह महीने के कारावास और जुर्माने की सजा को यथावत रखा था।

3. अभियोजन पक्ष के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार हैं:

शेख खासिम बी (बाद में 'मृतक' के रूप में संदर्भित) शेख नागूर (पी.डब्ल्यू-5) और शेख नजर बी (पी.डब्ल्यू-1) की पुत्री है। आरोपी, शेख नागूर तत्समय सिंहनगर, विजयवाडा में उनके घर में किरायेदार था । आरोपी पी.डब्ल्यू-1 के घर के उसी परिसर में एक छोटी सी झोपडी में एक किरायेदार के रूप में था । ऐसा दर्शित होता है कि आरोपी मृतक को संभोग के लिए आग्रह कर रहा था। 12.11.1999 को दोपहर करीब 1.00 बजे पी.डब्ल्यू-1 और मृतक नमाज के लिए गये और उसके बाद मृतक घर लौट आयी, जबकि पी.डब्ल्यू-1 कुछ देर तक एक कुर्शीद बेगम से बात करने के बाद पीछे आ रही थी। जब मृतका घर आई और सूखे कपडे लेने के लिए घर के बीच वाले हिस्से में गई, जो खाली था, आरोपी कथित तौर पर पीछे आया और उसे पकड लिया, और जब उसने उसे धमकी देते हुए कहा कि वह आरोपी के कृत्यों के

बारे में अपनी मां से शिकायत करेगी, तो उसने जवाब दिया कि वह खुद उसकी मां से शिकायत करेगा और कहेगा कि उसने खुद उसे बुलाया है और इस तरह, वह उसे और उसके परिवार को बदनाम करेगा। परेशान होकर और भावनात्मक अशांति से पीडित होकर, मृतका कमरे में गई, मिट्टी का तेल छिड़का और खुद को आग लगा ली। अस्पताल से सूचना मिलने पर, विजयवाड़ा शहर के नुन्ना ग्रामीण पुलिस स्टेशन की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध संख्या 258/1999 अंतर्गत धारा 448, 354 और 306 भा.दं.सं. के दंडनीय अपराध के लिए मामला दर्ज किया और बाद अनुसंधान आरोपपत्र दायर किया गया और इसे एससी संख्या 181/2001 के रूप में दर्ज किया गया। अभियुक्त ने खुद को निर्दोष बताया और गलत फंसाना कहा।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने अभिवचनों के अनुक्रम में 12 गवाहों को परीक्षित करवाया और कई दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया। विचारण न्यायालय ने 12.11.1999 को क्रमशः 7 वें अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद और हैड कांॅस्टेबल द्वारा दर्ज किये गये मृत्यु पूर्व बयान (प्रदर्श पी 4 -पी 9) पर विश्वास किया। उच्च न्यायालय द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 306 भा.दं.सं. का अपराध, जैसा पूर्व में वर्णित है, बनना नहीं पाया गया। हांलाकि, विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा भा.दं.सं. की धारा 354 और 448 के तहत दंडनीय अपराध पाये जाने से सहमति व्यक्त की। तदानुसार आक्षेपित निर्णय पारित किया गया।

5. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय को मृत्युकालीन कथन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। उनका पक्ष यह था कि मृतक की जली हुई स्थिति को देखते हुए उसके लिए मृत्युकालीन कथन किया जाना असंभव था।

6. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

7. हमें मरने से पहले दिये गये बयानों की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखता, विशेषतया तब जब उनके बीच एकरूपता है। हमें कोई कारण नहीं दिखता कि न्यायिक अधिकारी मृत्युकालीन कथन के बारे में गलत बयान क्यों देगा।

8. जैसा कि इस न्यायालय ने नारायण सिंह बनाम हरियाणा राज्य एआईआर में पैरा-7 में यह पाया कि (एससीसी पृष्ठ 267, पैरा 7)

> "किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के करीब होने पर दिया गया मृत्यु पूर्व बयान एक विशेष पवित्रता रखता है। क्योंकि ऐसे पवित्र क्षण में किसी व्यक्ति द्वारा कोई असत्य बयान देने की संभावना सबसे कम होती है। आसन्न मृत्यु की छाया अपने आपमें उसकी मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में मृतक के बयान की सत्यता की गारंटी है। लेकिन साथ ही किसी अन्य साक्ष्य की तरह मरने से पहले दिया गया बयान स्वीकार्य होने के लिए साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। यह इसलिये आवश्यक है, क्योंकि आरोपी को प्रतिपरीक्षा द्वारा बयान की सत्यता पर प्रश्न उठाने का अवसर नहीं मिलता है। यदि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान विश्वसनीय पाया जाता है तो यह दोषसिद्धि का आधार बन सकता है।"

9. बाबूलाल बनाम मध्यप्रदेश राज्य में (2003 (12) एससीसी 490) इस न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा 7 में यह पाया कि (एससीसी पी 494)

"एक व्यक्ति जो आसन्न मृत्यु का सामना कर रहा है, यहां तक कि इस दुनिया में बने रहने की छाया व्यवहारिक रूप से अस्तित्वहीन है, उसके लिये झूठ का हर उद्देश्य नष्ट हो जाता है। सबसे शक्तिशाली नैतिक कारणों से केवल सच बोलने के लिये मन परिवर्तित हो जाता है। मरने वाले व्यक्ति के शब्दों के साथ बडी गंभीरता और पवित्रता जुडी हुई है, क्योंकि एक व्यक्ति जो मृत्यु के कगार पर है, उसके द्वारा किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिये झूंठ बोलने या मामला गढने की संभावना नहीं है। एक निर्दोष व्यक्ति. कहावत है "एक आदमी अपने निर्माता से मुंह में झूंठ रखकर नहीं मिलेगा (निमो मोरिटुरस प्रेसुमितूर मेंटिरी) मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा, मरने वाले व्यक्ति के होठों पर सच्चाई होती है । जिन सामान्य सिद्धांत पर साक्ष्य के प्रकार स्वीकार किये जाते हैं वह यह है कि पक्षकार के द्वारा मृत्यु के समय की गई उद्घोषणा/कथन जब इस संसार की हर आशा, हर झूंठ बोलने का उद्देश्य शांत हो जाता है आैर मन सच बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली विचार से प्रेरित हो जाता है, उस चरम सीमा पर की गई उद्घोषणा/कथन है। कानून इतनी पवित्र स्थिति को उसके समान मानता है जैसे न्यायालय में दिलाई गई सकारात्मक शपथ से अधिरोपित दायित्व हो।"

10- रवि बनाम टी.एन.राज्य में (2004 (10) एससीसी 776) इस न्यायालय ने पाया किः (एससीसी पृष्ठ 777, पैरा 3)

"यदि मृत्यु पूर्व दिये गये बयान की सत्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता है, तो वही अकेले ही आरोप की दोषसिद्धि का

आधार बन सकता है और कानून में इसकी किसी भी प्रकार की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।"

11- मुथु कुट्टी बनाम राज्य में (2005(9) एससीसी 113) के पैरा संख्या-15 में न्ययालय द्वारा निम्नानुसार पाया गया किः (एससीसी पेज 120-21)

यद्यपि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान का अत्यधिक महत्व है, यह ध्यान देने योग्य है कि आरोपी के पास प्रतिपरीक्षण का कोई अधिकार नहीं है। एेसी शक्ति शपथ के दायित्व के रूप सत्य को बताने के लिये आवश्यक है। इस कारण न्यायालय इस बात पर भी जोर देती है कि मरने से पहले दिया गया बयान इस प्रकार का होना चाहिए कि न्यायालय उसकी शुद्धता में पूर्ण विश्वास कर सके। न्यायालय को सतर्क रहना होगा कि मृतक के बयान का सिखाया हुआ, प्रोत्साहित या कल्पना के उत्पाद का परिणाम नहीं है। न्यायालय को इस बात से भी संतुष्ट होना चाहिए कि मृतक को हमलावरों को देखने तथा पहचानने का अवसर मिला और वह घोषणा करने के लिये वह उपयुक्त मनस्थिति में था। निरीक्षण करने के स्पष्ट अवसर के बाद एक बार न्यायालय इससे संतुष्ट हो जाये घोषणा सत्य और स्वेच्छिक थी, निस्संदेह, यह बिना किसी अतिरिक्त पुष्टि के अपनी दोषसिद्धि को आधार बन सकती है। इसे कानून के पूर्ण नियम के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मरने से पहले दिया गया बयान दोषसिद्धि का एक मात्र आधार नहीं बन सकता जब तक कि इसकी पुष्टि न हो जाये। पुष्टिकरण का आवश्यक नियम केवल विवेक का नियम है। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में मृत्यृ पूर्व बयान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत निर्धारित किये हैं, जिन्हें निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है। पनीबेन बनाम गुजरात राज्य (1992(2) एससीसी 474) (एससीसी पीपी.480-81 पैरा 18-19)(अवधारण किया गया)

(i) न तो कानून का नियम है और न ही विवेक है कि बिना पुष्टि के मृत्यु पूर्व दिये गये बयान पर कार्यवाही नहीं की जा सकती हो। (मुन्नु राजा बनाम मध्य प्रदेश राज्य देखें)(1976(3) एससीसी 104)

(ii) यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सत्य और स्वैच्छिक है तो वह बिना किसी पुष्टि के उस पर दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर यादव और रमावती देवी बनाम बिहार राज्य (1985(1)एससीसी 552 देखें)

(iii) न्यायालय को मृत्युपूर्व बयान की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि मृत्युपूर्व की घोषणा सिखाया, प्रोत्साहन या कल्पना का परिणाम नहीं है। मृतक को हमलावरों को देखने और पहचानने का अवसर मिला और वह घोषणा करने के लिए उपयुक्त स्थिति में था (के.रामचन्द्र रेड्डी बनाम लोक अभियोजक देखें (1976(3)एससीसी 618)

(iv) जहां मृत्यु पूर्व दिया गया बयान संदेहास्पद हो, वहां पुष्टिकारक साक्ष्य के बिना उस पर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। (रशीद बेग बनाम मध्य प्रदेश राज्य देखें (1974 (4) एससीसी 264)

(v) जहां मृतक बेहोश था और कभी भी मृत्यु पूर्व बयान नहीं दे सका, उसके संबंध में साक्ष्य का खारिज कर दिया जायेगा। (काके सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य देखें (1981 अनुपूरक एससीसी 25)

(vi) मृत्यु पूर्व दिया गया बयान, जो दुर्बलता से ग्रस्त है, दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता। (राम मनोरथ बनाम यूपी राज्य देखें (1981 (2) एससीसी 654)

(vii) केवल इसलिए कि मृत्यु पूर्व दिये गये बयान में घटना के बारे में विवरण नहीं होता है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। (महाराष्ट्र राज्य

बनाम कृष्णमूर्ति लक्ष्मीपति नायडू देखें (1980 अनुपूरक एससी 455)

(viii) इसी प्रकार, केवल इसलिए कि यह एक संक्षिप्त बयान है, इसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, कथन की संक्षिप्तता ही सत्यता की गारंटी देती है। (सूरजदेव ओझा बनाम बिहार राज्य देखें (1980 अनुपूरक एससीसी 769)

(ix) सामान्यतया न्यायालय यह संतुष्ट करने के लिए कि मृतक मानसिक स्थिति में है या नहीं, मृत्युपूर्व बयान देने के लिए चिकित्सकीय राय का सहारा लेती है। लेकिन जहां प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मृतक मृत्यु पूर्व बयान देने के लिए उपयुक्त और सचेत अवस्था में था, वहां चिकित्सकीय राय अभिभावी नहीं हो सकती। (नन्हाउ राम बनाम मध्यप्रदेश राज्य देखें (1988 अनु. एससी 152)

(x) जहां अभियोजन पक्ष् के अभिवचन मृत्युपूर्व बयान में दिये गये बयान से भिन्न हैं, वहां उक्त उदघोषणा पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। (यूपी राज्य बनाम मदन मोहन देखें (1989(3) एससीसी 390)

(xi) जहां मृत्युपूर्व बयान की प्रकृति के एक से अधिक बयान हैं, वहां समय के अनुसार पहले बयान दिया है उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। निःसंदेह, यदि बहुलता के मृत्युपूर्व बयान को सत्य आैर विश्वसनीय माना जा सकता है, तो इसे स्वीकार करना चाहिये। (मोहनलाल गंगाराम गेहानी बनाम महाराष्ट्र राज्य देखें (1982 (1) एससीसी 700)‘‘

12- जहां तक मृतक द्वारा मृत्यु पूर्व बयान देने की व्यवहारिकता का संबंध है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्वान अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, ने पीडब्ल्यू-7 और काॅस्टेबल पी.डब्ल्यू-10 की जांच की है, जिन्होंने विस्तार से वर्णन किया है कि मृतक ने प्रत्येक को क्या बताया है। किसी भी गवाह

को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि मृतक जैसा कहा गया है कोई भी बयान देने के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं था। ऐसा होने पर, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील में कोई बल नहीं है कि मृतक बयान देने के लिए शारीरिक स्थिति में नहीं था।

13- विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए इन गवाहों के साक्ष्य और उपर उल्लिखित मृत्यु पूर्व दिये गये बयान में दिये गये बयानों का विश्लेषण किया है।

14- इस स्थिति में, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील असफल होती है और निरस्त की जाती है।

अपील निरस्त।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी स्वाति शर्मा, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।